

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 09.06.25

क्रमांक रीडर/2025/5062

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण


1 भाखराराम पुत्र
बांकाराम जाति
कुम्हार निवासी
ईश्वरपुरा, भादरेश
तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 रामाराम पुत्र टिकमाराम 2 पेमाराम
पुत्र लिछमणाराम जाति कुम्हार
निवासी ईश्वरपुरा, भादरेश तहसील व
जिला बाड़मेर। 3 कालुराम पुत्र
जुगताराम जाति जाट निवासी
ईश्वरपुरा, भादरेश तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 667/2024 दिनांक- 04/06/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा ईश्वरपुरा पटवार क्षेत्र भादरेश तहसील व जिला
बाड़मेर के खसरा संख्या 178/43 रकबा 3.1323 हैक्टर, व खसरा संख्या 402/43 रकबा
0.0728 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु
तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने
से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा
जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी
की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित
की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 09.06.25

क्रमांक :- रीडर/2025/5063-66

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भादरेश तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी भाखराराम पुत्र बांकाराम जाति कुम्हार निवासी ईश्वरपुरा, भादरेश तहसील व जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण रामाराम पुत्र टिकमाराम जाति कुम्हार निवासी ईश्वरपुरा, भादरेश तहसील व
जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर